

12. स्कूल ऑफ किरटिव लर्निंग, नरगटा, टानापुर, पटना

2- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है।

3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

हस्ताक्षर

समो दास

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

क्रमांक 108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचना एवं आवश्यक कार्यादेश प्रेषित।

2. शैक्षिक गुणावत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा।

3. निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

क। विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान करने में अधिक क्लिम्ब किया जा रहा हो,

ख। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर,

ग। विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस में बें लिए राशि की व्यवस्था हो उसका दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो।

घ। विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो, जिससे समाज के विभिन्न सोसायटी के बीच कटुता पैदा हो,

च। सी0बी0एस0ई0 मापदंड के अनुसम भवनों में सी0बी0एस0ई0 मापदंड के अनुसम छात्रों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर।

28-2-04  
समो दास

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

क्रमांक 108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, विहार को सूचना एवं प्रेषित।

28-2-04  
विशेष निदेशक, मा0श्री0

क्रमांक 108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा, विहार, पटना को सूचना एवं प्रेषित।

28-2-04  
विशेष निदेशक, मा0श्री0

Secretary

Attested  
Jain

Principal  
Shatabdi Public School, Gaya

State of Public School, Gaya

सं. 10/न4-12/2002 शि10-108  
सेकेन्डी, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग, विहार

प्रेषक

श्री एम0 दास  
विशेष निदेशक शि10 शि10।

सेवा में,

सचिव,  
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डी एजुकेशन,  
शिक्षा केन्द्र, कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत विहार,  
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092


पटना, दिनांक 28-2-04

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डी एजुकेशन,  
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के  
संबंध में।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए  
कहना है कि दिनांक 30.12.2003 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए  
निर्णय के आलोक में निम्नांकित विद्यालयों को सी0वी0एस्0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता  
सम्बद्धता/मान्यता इस शर्त के साथ निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें  
सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर  
कर्मियों के समकक्ष वेतनादि का भुगतान विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को  
करना होगा :-

1. शताब्दी पब्लिक स्कूल, कटारी हिल रोड, गया
2. ए0ए0एम0 चिल्ड्रेन्स स्केडमी, कटिहार
3. ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, पहाड़गंज, कैन्ट सरिया, गया
4. तौहीद स्केडमी, तौहीदनगर, पश्चिम पाली, किशनगंज
5. न्यू एरा पब्लिक स्कूल, छोटी राजवल्ली, पीपलपाती रोड, मुंगेर
6. डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, डिहरी, रोहतास
7. डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, शोरघाटी, गया
8. एस्0आर0डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, पूर्णिया
9. सीताराम डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, सीतामढ़ी
10. कमला नेहरु शिक्षा विहार उच्च विद्यालय, तदाकत आश्रम, पटना
11. श्री मैत्रायिणी योगिनी सेकेन्डी स्कूल, मुण्डी, भोजपुर, आरा

  
Secretary

Shatabdi Public School, Gaya

Attested  
  
Principal  
Shatabdi Public School, Gaya

सी0वी0एस्0ई0